



श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी मामराज पुत्र प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं 5 गांव 6 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, मूल रसीद व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमती लाछा देवी पत्नी टिकूराम जाति कुम्हार निवासी 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 15.05.2002 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 29.10.2013 को हो चुका है। जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाह रामलाल पुत्र चौथ राम एवं मोहन लाल पुत्र रती राम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री महेश कुमार ने की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

Reep

4

28/11/20